...गी कर्मचारियों ...की समस्याएं

...होगी उतना पैसा देंगे
...काम करना होगा।
...कहा, सबके सहयोग
...साख वापस लाएंगे।
...त करेंगे। उन्होंने भी
...-कर्मचारियों का कोई
...जाएगा। रजिस्ट्रार ने
...क आईईटी की छवि
...ई। हम सब मिलकर
...रेमा लौटाएं।

...क संस्थान

...ा के प्रस्ताव को ...ज, निदेशक को ...भी आदेश जारी

...संबंधी संशोधन अब
...आईईटी को एकेटीयू
...रखा जाए। विशेष
...अबरार अहमद ने
...आदेश जारी किया है।
...मान निदेशक प्रो.
...न में आईईटी की
...न किया था लेकिन
...र्णय नहीं हो पा रहा
...विवि संस्थान के हित
...में शैक्षिक गुणवत्ता
...अलावा कार्य परिषद
...ीन को नहीं बुलाया

आईईटी निदेशक के रूप में जाइन किया तब एकेटीयू में आरके खांडल कुलपति थे। उनके कार्यकाल में सब ठीक-ठाक रहा। वहीं, 4 अगस्त 2015 को प्रो. विनय कुमार पाठक एकेटीयू के कुलपति बने। इस बीच आईईटी के शिक्षकों का एक धड़ा प्रो. विद्यार्थी के खिलाफ हो गया।

शुरुआत में ही प्रो. विद्यार्थी की ट्यूनिंग प्रो. पाठक से गड़बड़ हो गई। एक छात्रावास के उद्घाटन पर शिलापट्ट में नाम लिखने को लेकर भी काफी खींचतान हुई। इसके बाद आईईटी शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा बड़ा कारण बना। इसी बीच किसी ने प्रो. विद्यार्थी की निदेशक पद की अर्हता का मामला उठा दिया। इसी को आधार बनाकर 17 नवंबर 2016 को कुलपति प्रो. पाठक ने उन्हें हटाकर दो सदस्यीय जांच कमेटी बना दी थी। हालांकि, उस समय शासन ने प्रो. विद्यार्थी को हटाने का निर्णय निरस्त कर दिया था।

...वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, क्या यहां बायोमीट्रिक अटेंडेंस होती है? जवाब मिला- अभी नहीं। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार इसे लागू होना चाहिए। परिसर साफ-सुथरा रहे, इसके लिए सभी लोग प्रयास करें। पान-मसाला, गुटखा के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। फाइलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो। कर्मचारियों ने भी बैठक में अपनी समस्याएं उठाई और कहा, वे व्यवस्था में पूरा सहयोग करेंगे।

इसके बाद खींचतान और तेज हो गई। हाल में एक शोध छात्र की गड़बड़ी को लेकर भी निदेशक व आईईटी के शिक्षक आमने-सामने थे। कुलपति ने प्रो. विद्यार्थी द्वारा जारी नोटिस को निरस्त कर दिया था। इस बीच शासन ने प्रो. विद्यार्थी को दोबारा हटा दिया और वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके।

18 मई से श्रीनगर में आयोजित की गई है। काउंसिल के पदेन सचिव डॉ. हसमुख अधिया ने प्रदेश सरकार से भी काउंसिल सदस्य के तौर पर किसी प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को सदस्य नामित करते हुए श्रीनगर भेजने का फैसला किया है। काउंसिल की बैठक में जीएसटी को आम जनता के लिए लाभप्रद बनाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा होनी है।

एकेटीयू : बीटेक के पेपर में फिर हुई गड़बडी

कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पत्र में लॉजिक और सर्किट डायग्राम गलत

लखनऊ (ब्यूरो)। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पेपर में गड़बड़ी सामने आई। बुधवार को सुबह की पाली में बीटेक द्वितीय वर्ष कंप्यूटर साइंस का पेपर था। छात्रों ने जब इसे सॉल्व करना शुरू किया तो उन्हें पेपर में गड़बड़ी का पता चला। उन्होंने अपने कॉलेज के शिक्षकों को इसकी जानकारी दी। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि कुछ प्रश्नों में लॉजिकल मिस्टेक थी तो कुछ में सर्किट डायग्राम गलत था। कुल चार प्रश्नों में गड़बड़ी थी। लगभग दो घंटे बाद इसे ठीक करवाया गया।

अपर परीक्षा नियंत्रक डॉ. दीपक नगरिया ने बताया कि दो प्रश्नों में मिनिमम टाइपिंग मिस्टेक थी, जिसे सूचना मिलने के थोड़ी देर में ही करेक्ट करा दिया गया था। इससे विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

पीजी कैरीओवर फॉर्म 18 तक भरें

परीक्षा नियंत्रक प्रो. जेपी पांडेय के अनुसार सत्र 2016-17 से पूर्व संचालित एमटेक, एमफार्मा, एमआर्क के द्वितीय सेमेस्टर की कैरीओवर परीक्षा के फॉर्म 18 मई तक भरे जाएंगे। उन्होंने संबंधित कॉलेजों को सूचित किया है कि वे अपने विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करवाएं।

अनिल हटे, भारती बने पूर्वांचल विद्युत निगम के एमडी

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी) अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अनिल कुमार के स्थान पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) सुरेश चंद्र भारती को पूर्वांचल विद्युत निगम का एमडी बनाया गया है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि शासन ने जनहित में सुरेश चंद्र भारती को पूर्वांचल विद्युत निगम में निदेशक (तकनीकी) के पद पर तैनात करते हुए उन्हें एमडी का चार्ज सौंपा है। अनिल कुमार को मुख्य अभियंता के पद पर संबद्ध किया गया है।

यूको बैंक

जोनल आफिस : बी-1/122, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत)

यह कि यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं) / गारन्टीकर्ता(ओं) को माँगपत्र जारी की जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की मांग की गयी थी।

यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) / गारन्टीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) / गारन्टीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है जिसका विवरण अधोघर्णित है।

ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रुप से तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। यह सम्पत्ति यूको बैंक के प्रभार के अभ्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय है।

यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारकों को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 29.06.2017 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री **"जो है जैसी है"** तथा **"जहाँ है जैसी है"** के आधार पर की जायेगी।

क्र0 सं0	खातेदार का नाम, पता व शाखा का नाम	बकाया धनराशि	सम्पत्ति का विवरण/ बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि(रु.)	डिमांड नोटिस/ अधिग्रहण तिथि
1.	**परवन्त इन्डस्ट्रीज, प्रोप्राइटर बहादुर सिंह कुँवर शाखा: चन्द्रावल**	रु. 41,34,431.62 + ब्याज + अन्य व्यय	सम्पत्ति के सभी भाग व खंड स्थित प्लाट शेड सं. एस-19, औद्योगिक क्षेत्र गहरू वार्ड सर्वे सं./सिटी या टाउन सर्वे सं./खसरा सं. सरोजिनी नगर उपजिला लखनऊ एवं जिला लखनऊ में पर्जीकृत सम्पत्ति श्री बहादुर सिंह कुँअर के नाम, **क्षेत्रफल: 335.60 वर्ग मी., चौहद्दी: पूर्व:** 80 फिट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** शेड नं. 20. **उत्तर:** 40 फिट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लाट सं. ए-3.	42,30,000.00 / 4,23,000.00	28.04.2015 / 07.08.2015

नियम व शर्तें:- (1) नीलामी बिकी "आनलाइन ई-नीलामी" जिसमें वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 29.06.2017 **को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे** के मध्य बोली लगाकर की जायेगी **(असीमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)**। (2) आनलाइन बिड जमा करने की अन्तिम तिथि **27.06.2017** सायं 4 बजे तक है। (3) धरोहर राशि **DD/RTGS/NEFT** फण्ड स्तानांतरण के माध्यम से **खाता संख्या 07520210006122, प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक,** आई.टी. कालेज ब्रान्च, लखनऊ, IFSC Code-UCBA0000752 में जमा करनी होगी। (4) इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **20.06.2017** को कर सकते हैं। (5) सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई **संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि के अतिरिक्त)** ई-नीलामी की प्रकिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 3 में वर्णित है, तथा शेष 75% **(धरोहर राशि घटाकर)** का भुगतान विकय की सूचना दिए जाने / पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। (6) **यह प्रकाशन नोटिस का मात्र संक्षिप्त विवरण है, ई-नीलामी** के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net पर देख सकते हैं तथा संम्बन्धित प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा **मेसर्स ई-प्रोक्योरमेन्ट टेक्नोलाजीज लि. (Auction Tiger) अहमदाबाद, हेल्पलाइन नंबरः- 079-40230806 / 816 / 821 / 823 / 824 / 825 / 826 / 827 संपर्क सूत्र- श्री राम प्रसाद शर्मा, मोबाइल नं0- 91-8000023297, ईमेल-** ramprasad@auctiontiger.net, **एवं श्री राजेन्द्र कुमार रावत मोबाइल नं0- 91-9451591011, टोल फ्री नं0: 18001035342, ईमेल-** support@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 18.05.2017 **स्थान : लखनऊ** **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**